रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III —खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 16] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 15, 2015/पौष 25, 1936
No. 16] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 15, 2015/PAUSA 25, 1936

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 15 जनवरी, 2015

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015

सं. एल. ए. डी. / एन.आर. ओ. / जी. एन./2014-15/21/85.— बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 11 की उप-धारा (2) के खंड (छ) और धारा 12क के खंड (घ) एवं खंड (ङ) के साथ पठित धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा, प्रतिभूतियों में अंतरंग व्यापार के प्रतिषेध हेतु एक ढाँचा निर्धारित करने के लिए और उसके विधिक ढाँचे को मजबूत बनाने के लिए, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

अध्याय-I

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

1. (1) इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015 कहा जा सकेगा ।

(2) ये विनियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से एक सौ बीसवें दिन को प्रवृत्त होंगे ।

परिभाषाएँ

2. (1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, निम्नलिखित शब्दों, पदों और उनके उद्धरणों के वही अर्थ होंगे जो नीचे उनके लिए नियत हैं:-

(क) "अधिनियम" से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) अभिप्रेत है;

(ख) "बोर्ड" से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अभिप्रेत है;

(ग) "अनुपालन अधिकारी" से ऐसा कोई ज्येष्ठ अधिकारी अभिप्रेत है, जो इस प्रकार पदाभिहित हो और जो निदेशक बोर्ड या बोर्ड के न होने की दशा में संगठन के प्रधान को रिपोर्ट करता हो, जिसे वित्त-संबंधी ज्ञान हो तथा जो इन विनियमों के अधीन विधिक एवं विनियामक अनुपालन संबंधी अपेक्षाओं को ठीक-ठीक समझने में समर्थ हो और जो, यथास्थिति, सूचीबद्ध (लिस्टिड) कंपनी के निदेशक बोर्ड या संगठन के प्रधान के समग्र पर्यवेक्षण के अधीन नीतियों, प्रक्रियाओं के अनुपालन, अभिलेख रखने, अप्रकाशित कीमत संवदेनशील जानकारी रखने संबंधी नियमों के पालन का अनुश्रवण करने, व्यापारों (ट्रेड) का अनुश्रवण करने तथा इन विनियमों में विनिर्दिष्ट संहिताओं के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होगा;

(घ) "संबद्ध व्यक्ति",-

(i) से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी कंपनी से सहयुक्त है या संबंधित क्रियाकलाप से छह महीने पूर्व की अवधि के दौरान सहयुक्त रहा हो, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी भी हैसियत से, जिसमें सम्मिलित हैं - चाहे उसके अधिकारियों के साथ बार-बार संपर्क के कारण हो अथवा किसी संविदात्मक संबंध, वैश्वासिक संबंध या कार्यरत व्यक्ति (नियोजित व्यक्ति) के संबंध के तौर पर हो अथवा कंपनी के निदेशक, अधिकारी या कर्मचारी के तौर पर हो अथवा वह कोई पद धारण करता हो जिसके अंतर्गत उसके तथा कंपनी के बीच वृत्तिक या कारबारी संबंध, चाहे अस्थायी हो या स्थायी, सम्मिलित है, जो ऐसे व्यक्ति को, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः, अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी तक पहुँच रखने देता हो अथवा जिसके संबंध में इस प्रकार पहुँच रखने देना युक्तियुक्त रूप से प्रत्याशित हो ।

(ii) पूर्ववर्ती की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निम्नलिखित प्रवर्गों के भीतर आने वाले व्यक्तियों के बारे में यह समझा **जाएगा** कि वे संबद्ध व्यक्ति हैं, जब तक कि प्रतिकूल सिद्ध नहीं हो जाता, -

(क) खंड (i) में विनिर्दिष्ट संबद्ध व्यक्तियों का सीधा नातेदार; या

(ख) नियंत्री (होल्डिंग) कंपनी या सहयुक्त कंपनी या समुनषंगी (सब्सीडियरी) कंपनी; या

(ग) अधिनियम की धारा 12 में यथा विनिर्दिष्ट मध्यवर्ती अथवा उसका कर्मचारी या निदेशक; या

(घ) निवेश कंपनी (इन्वेस्टमेंट कंपनी), न्यासी कंपनी (ट्रस्टी कंपनी), आस्ति प्रबंध कंपनी (एसेट मैनेजमेंट कंपनी) अथवा उनका कर्मचारी या निदेशक; या

(ङ) स्टॉक एक्सचेंज का अथवा समाशोधन गृह (क्लीयरिंग हाउस) या समाशोधन निगम (क्लीयरिंग कारपोरेशन) का अधिकारी; या

(च) पारस्परिक निधि (म्यूचुअल फंड) के न्यासी बोर्ड का सदस्य या पारस्परिक निधि की आस्ति प्रबंध कंपनी के निदेशक बोर्ड का सदस्य या उसका कर्मचारी; या

(छ) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(72) में यथा परिभाषित लोक वित्तीय संस्था (पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टिट्यूशन) के निदेशक बोर्ड का सदस्य, या कर्मचारी; या

(ज) बोर्ड द्वारा मान्यताप्राप्त या प्राधिकृत स्व-विनियामक संगठन का अधिकारी या कर्मचारी; या

(झ) कंपनी का बैंककार (बैंकर); या

(ञ) समुत्थान, फर्म, न्यास, हिन्दू अविभक्त कुटुंब, कंपनी या व्यक्तियों का संगम जिनमें कंपनी के निदेशक या उसके सीधे नातेदार या कंपनी के बैंककार, की धारिता (होल्डिंग) या का हित दस प्रतिशत से अधिक हो;

टिप्पण: *आशय यह है कि संबद्ध व्यक्ति वह व्यक्ति है जिसका कंपनी के साथ कोई ऐसा संबंध हो जिसके कारण ऐसी प्रत्याशा हो कि अप्रकाशित कीमत संवदेनशील जानकारी उसके कब्जे में हो सकती है । सीधे नातेदारों और ऊपर विनिर्दिष्ट अन्य प्रवर्गों के व्यक्तियों को भी संबद्ध व्यक्ति माना जाता है, किंतु यह तो एक गृहीत विधिक कल्पना है और जिसका खंडन किया जा सकता है । इस परिभाषा का आशय इसके दायरे में उन व्यक्तियों को भी लाने का है जो कदाचित कंपनी में कोई पद धारण न करते हों किंतु जो कंपनी तथा उसके अधिकारियों के साथ नियमित संपर्क में रहते हों और जो कंपनी के कार्यकलापों के संबंध में जानकारी रखते हों । आशय यह है कि इसके दायरे में उन व्यक्तियों को भी लाया जाये जो ऐसे किसी संबंध के फलस्वरूप जिसके कारण अप्रकाशित कीमत संवदेनशील जानकारी उनके कब्जे में हो सकती हो, किसी कंपनी या किसी वर्ग की कंपनियों से संबंधित अप्रकाशित कीमत संवदेनशील जानकारी तक पहुँच रख सकते हों या पहुँच सकते हों ।*

(ङ) "साधारणतः उपलब्ध जानकारी" से वह जानकारी अभिप्रेत है जिस तक जनता बिना किसी भेदभाव के पहुँच रख सकती हो;

टिप्पण: *आशय यह परिभाषित करने का है कि साधारणतः उपलब्ध जानकारी क्या होती है, ताकि यह आसानी से निर्धारित हो सके और समझा जा सके कि अप्रकाशित कीमत संवदेनशील जानकारी क्या है। किसी स्टॉक एक्सचेंज के वेबसाइट पर प्रकाशित जानकारी को, आम तौर पर साधारणत: उपलब्ध जानकारी माना* ***जाएगा।***

(च) "सीधा नातेदार" से किसी व्यक्ति का पति या की पत्नी अभिप्रेत है, और जिसमें ऐसे व्यक्ति के अथवा उसके पति या उसकी पत्नी के माता-पिता, भाई या बहन, तथा संतान सम्मिलित है, जिनमें से कोई भी या तो ऐसे व्यक्ति पर वित्तीय रूप से आश्रित हो, या ऐसे व्यक्ति से प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) में व्यापार (ट्रेडिंग) संबंधी निर्णय लेने (विनिश्चय करने) के संबंध में परामर्श करता हो;

टिप्पण: *आशय यह है कि "संबद्ध व्यक्ति" के सीधे नातेदार भी इन विनियमों के प्रयोजनार्थ संबद्ध व्यक्ति बन जाते हैं। निश्चित ही, इसका खंडन किया जा सकता है।*

(छ) "अंतरंग व्यक्ति" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है:

(i) जो संबद्ध व्यक्ति हो; या

(ii) जिसके कब्जे में अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी हो या जो अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी तक पहुँच रखता हो;

टिप्पण: *चूँकि "साधारणतः उपलब्ध जानकारी" तो परिभाषित है, फिर भी आशय यह है कि ऐसे किसी भी व्यक्ति को, जिसके कब्जे में अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी हो या जो अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी तक पहुँच रखता हो, "अंतरंग व्यक्ति" माना जाये, इस बात पर विचार किये बिना कि ऐसी जानकारी उसके कब्जे में कैसे आयी या ऐसी जानकारी तक वह कैसे पहुँचा। ऐसे व्यक्ति के लिए विभिन्न परिस्थितियाँ निर्धारित की गई हैं जिनके अनुसार वह यह साबित कर सकता है कि वह अंतरंग व्यापार में लिप्त नहीं रहा। इस प्रकार, इस परिभाषा का आशय इसके दायरे में ऐसे किसी व्यक्ति को लाने का है जिसे अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी प्राप्त हुई हो या जो अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी तक पहुँच रखता हो। इसलिए, यह साबित करने का दायित्व, कि व्यापार (ट्रेडिंग) के समय अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी किसी अमुक व्यक्ति के कब्जे में थी या वह उस तक पहुँच रखता था, उस व्यक्ति पर होगा जो ऐसा आरोप लगाता हो, जिसके बाद वह व्यक्ति जिसने उस समय व्यापार (ट्रेड) किया हो जब अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी उसके कब्जे में रही या उसकी उस तक पहुँच रही, यह साबित कर सकेगा कि उसके कब्जे में ऐसी जानकारी नहीं थी या यह कि उसने व्यापार (ट्रेड) नहीं किया या वह* ***ऐसी जानकारी*** *तक पहुँच नहीं रख सकता था या यह कि ऐसी जानकारी उसके कब्जे में होने के दौरान उसके द्वारा किया गया व्यापार (ट्रेडिंग) पूरी तरह से क्षम्य परिस्थितियों के दायरे में आता था।*

(ज) "संप्रवर्तक" (प्रोमोटर) का वही अर्थ होगा जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2009 या उसके किसी उपांतर के अधीन इसके लिए नियत है;

(झ) "प्रतिभूतियों" (या "प्रतिभूतियाँ") का वही अर्थ होगा जो प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) या उसके किसी उपांतर के अधीन इसके लिए नियत है, और जिनमें पारस्परिक निधि की यूनिटें सम्मिलित नहीं होंगी;

(ञ) "विनिर्दिष्ट" से बोर्ड द्वारा लिखित रूप में विनिर्दिष्ट अभिप्रेत है;

(ट) "अधिग्रहण संबंधी विनियमों" से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011 और उसके कोई संशोधन अभिप्रेत हैं;

(ठ) "व्यापार" (ट्रेडिंग) से अभिप्रेत है और उसमें सम्मिलित है - किन्हीं प्रतिभूतियों में अभिदाय करना, को खरीदना, को बेचना, उनमें व्यौहार करना, या उनमें अभिदाय करने, को खरीदने, को बेचने, उनमें व्यौहार करने के लिए सहमत होना, और "ट्रेड" ("व्यापार") का अर्थ तदनुसार लगाया **जाएगा**;

टिप्पण: *संसदीय अधिदेश के अधीन, चूँकि अधिनियम की धारा 12क (ङ) एवं धारा 15छ में शब्दों 'प्रतिभूतियों में व्यौहार' का प्रयोग किया गया है, इसलिए आशय यह है कि शब्द "व्यापार" (ट्रेडिंग) को व्यापक रूप से परिभाषित किया जाये ताकि उसके अंतर्गत व्यौहार*

(डीलिंग) भी शामिल हो सके । ऐसा करने का आशय अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी के आधार पर किये गये उन क्रियाकलापों पर काबू पाना है जो अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी रहने के दौरान खरीदने, बेचने या अभिदाय करने की कोटि में पूरी तरह से नहीं आते, जैसे गिरवी रखना आदि ।

(ड) "व्यापार के दिन" (ट्रेडिंग डे) से वह दिन अभिप्रेत है जिस दिन मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज व्यापार (ट्रेडिंग) के लिए खुले रहते हैं;

(ढ) "अप्रकाशित कीमत संवदेनशील जानकारी" से कंपनी या उसकी प्रतिभूतियों से, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः, संबंधित कोई ऐसी जानकारी अभिप्रेत है, जो साधारणतः उपलब्ध न हो जिसके साधारणतः उपलब्ध हो जाने पर प्रतिभूतियों की कीमत के तात्विक रूप से प्रभावित होने की संभावना हो सकती हो और जिसमें सामान्यत: निम्नलिखित से संबंधित जानकारी सम्मिलित होगी किंतु जो निम्नलिखित तक ही सीमित नहीं होगी :-

(i) वित्तीय परिणाम;

(ii) लाभांश;

(iii) पूँजी संरचना (कैपिटल स्ट्रक्चर) में परिवर्तन;

(iv) विलयन (मर्जर), अविलयन (डी-मर्जर), अर्जन (एक्विज़ीशन), असूचीबद्धताएँ (डीलिस्टिंग), व्ययन (डिस्पोज़ल) तथा कारबार का विस्तार और ऐसे अन्य संव्यवहार;

(v) मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों में परिवर्तन; और

(vi) सूचीबद्धता करार (लिस्टिंग एग्रीमेंट) के अनुसार महत्त्वपूर्ण घटनाएँ ।

<u>टिप्पण:</u> *आशय यह है कि कंपनी या प्रतिभूतियों से संबंधित जो जानकारी साधारणतः उपलब्ध न हो, वह अप्रकाशित कीमत संवदेनशील जानकारी होगी यदि जनता के लिए (पब्लिक डोमेन में) उसके उपलब्ध हो जाने पर कीमत के तात्विक रूप से प्रभावित होने की संभावना हो सकती हो । जो-जो जानकारी सामान्यत: अप्रकाशित कीमत संवदेनशील जानकारी की कोटि में आती है, उसके कुछ उदाहरण मार्गदर्शन प्रदान करने की दृष्टि से ऊपर दिये गये हैं ।*

(2) इन विनियमों में उपयोग किये गये तथा अपरिभाषित किंतु भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15), प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42), निक्षेपागार अधिनियम, 1996 (1996 का 22) या कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) और उनके अधीन बनाये गये नियमों तथा विनियमों में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो उन विधानों में क्रमशः उनके लिए नियत हों ।

<u>अध्याय–II</u>

अंतरंग व्यक्तियों द्वारा संसूचना और व्यापार (ट्रेडिंग) पर निर्बंधन

अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी की संसूचना या उसकी प्राप्ति

3. (1) कोई भी अंतरंग व्यक्ति, किसी कंपनी अथवा सूचीबद्ध या सूचीबद्ध किये जाने के लिए प्रस्तावित प्रतिभूतियों के संबंध में, किसी व्यक्ति जिसमें अन्य अंतरंग व्यक्ति सम्मिलित हैं को कोई अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी संसूचित नहीं करेगा, उपलब्ध नहीं करायेगा, या किसी अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी तक पहुँच रखने की अनुज्ञा नहीं देगा (रखने नहीं देगा), सिवाय वहाँ जहाँ ऐसी संसूचना विधिसम्मत प्रयोजनों, कर्तव्यों के पालन या विधिक बाध्यताओं के निर्वहन हेतु हो ।

<u>टिप्पण</u> : *इस प्रावधान का आशय उन समस्त अंतरंग व्यक्तियों, जिनके कब्जे में अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी है, पर यह बाध्यता डालना है कि वे ऐसी जानकारी को सावधानीपूर्वक संभालकर रखें और अपना कारबार करते समय अपने पास रखी जानकारी के संबंध में कार्यवाही 'जानने की आवश्यकता के आधार पर ही' करें । इसका आशय यह भी है कि जिन संगठनों आदि के कब्जे में जो जानकारी हो वे उस जानकारी के संबंध में 'जानने की आवश्यकता' संबंधी सिद्धाँतों के आधार पर पद्धतियाँ विकसित करें ।*

(2) कोई भी व्यक्ति, किसी कंपनी अथवा सूचीबद्ध या सूचीबद्ध किये जाने के लिए प्रस्तावित प्रतिभूतियों के संबंध में, अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी रखने वाले किसी अंतरंग व्यक्ति से कोई संसूचना प्राप्त नहीं करेगा या उससे कुछ भी संसूचित नहीं करवायेगा, सिवाय वहाँ जहाँ ऐसी संसूचना विधिसम्मत प्रयोजनों, कर्तव्यों के पालन या विधिक बाध्यताओं के निर्वहन हेतु हो ।

टिप्पण : *इस प्रावधान का आशय अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी को विधिविरुद्ध रूप से कब्जे में लेने पर रोक लगाना है । अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी को* उत्प्रेरित करना और उसे प्राप्त करना इस प्रावधान के तहत अवैध होगा, यदि ऐसा किसी *के विधिसम्मत कर्तव्यों हेतु और बाध्यताओं के निर्वहन हेतु न किया गया हो ।*

(3) इस विनियम में दी हुई किसी बात के होते हुए भी, ऐसे किसी संव्यवहार (ट्रांजेक्शन) के संबंध में, अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी संसूचित की जा सकेगी, अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी उपलब्ध करायी जा सकेगी, अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी तक पहुँच रखने की अनुज्ञा दी जा सकेगी या अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी प्राप्त की जा सकेगी :–

(i) जिसके अनुसार अधिग्रहण संबंधी विनियमों के अधीन खुला प्रस्ताव (ओपन ऑफर) लाने की बाध्यता हो जाये, जहाँ कंपनी के निदेशक बोर्ड की सोच-समझकर यह राय बनी हो कि प्रस्तावित संव्यवहार कंपनी के सर्वोत्तम हित में है;

टिप्पण : *आशय यह है कि महत्त्वपूर्ण संव्यवहारों, जैसे अधिग्रहणों, विलयनों और अर्जनों, जिनके अंतर्गत प्रतिभूतियों में व्यापार (ट्रेडिंग) और नियंत्रण में परिवर्तन शामिल है, के संबंध में अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी को संसूचित करने, अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी को उपलब्ध कराने, अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी तक पहुँच रखने की अनुमति देने या अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी को प्राप्त करने की आवश्यकता को स्वीकारा जाये, ताकि भावी निवेश का आकलन किया जा सके । अधिग्रहण संबंधी विनियमों के अधीन खुले प्रस्ताव में, न केवल कंपनी के सभी शेयरधारकों को एक ही कीमत उपलब्ध करायी जायेगी बल्कि ऐसी समस्त आवश्यक जानकारी [जो आम शेयरधारकों को सोच-समझकर निर्निहित करने (डाइवेस्टमेंट) या रखे रहने (रिटेन्शन) का निर्णय लेने में समर्थ बनाये] भी उन विनियमों के अधीन प्रस्ताव पत्र (लेटर ऑफ ऑफर) में सभी शेयरधारकों को उपलब्ध करायी जानी अपेक्षित है।*

(ii) जो अधिग्रहण (टेकओवर) संबंधी विनियमों के अधीन खुला प्रस्ताव लाने की बाध्यता को आकृष्ट न करता हो, किंतु जहाँ कंपनी के निदेशक बोर्ड की सोच-समझकर यह राय बनी हो कि प्रस्तावित संव्यवहार कंपनी के सर्वोत्तम हित में है और जो जानकारी अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी की कोटि में आती हो वह किये जाने वाले प्रस्तावित संव्यवहार से व्यापार के कम से कम दो दिन (ट्रेडिंग डे) पूर्व, ऐसे रूप में जैसा निदेशक बोर्ड अवधारित करे, प्रसारित की जाती है, ताकि वह साधारणत: उपलब्ध हो जाये ।

टिप्पण : *आशय यह है कि ऐसे संव्यवहारों के संबंध में भी अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी को संसूचित करने, अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी को उपलब्ध कराने, अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी तक पहुँच रखने देने या अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी को प्राप्त करने की अनुमति दी जाये, जिनके अनुसार अधिग्रहण संबंधी विनियमों के अधीन खुले प्रस्ताव की बाध्यता न होती हो, यदि ऐसा कंपनी के सर्वोत्तम हित में हो । हालाँकि, निदेशक बोर्ड (बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स) प्रस्तावित संव्यवहार से पहले ही ऐसी अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी के सार्वजनिक प्रकटीकरण करवायेगा, ताकि बाजार में जानकारी को लेकर यदि कोई विषमता हो तो वह दूर हो सके ।*

(4) उप-विनियम (3) के प्रयोजनार्थ, निदेशक बोर्ड पक्षकारों (पार्टियों) से यह अपेक्षा करेगा कि वे गोपनीयता और अप्रकटीकरण (नॉन-डिस्क्लोज़र) बाध्यताओं के संबंध में करार निष्पादित करें और ऐसे पक्षकार इस प्रकार प्राप्त जानकारी को गोपनीय रखेंगे, उप-विनियम (3) के प्रयोजन के सिवाय, और वे उस समय कंपनी की प्रतिभूतियों में अन्यथा व्यापार (ट्रेड) नहीं करेंगे जिस समय अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी उनके कब्जे में हो ।

उस समय व्यापार (ट्रेडिंग) जब अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी कब्जे में हो

4. (1) कोई भी अंतरंग व्यक्ति प्रतिभूतियों, जो स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हों या सूचीबद्ध किये जाने के लिए प्रस्तावित हों, में उस समय व्यापार (ट्रेड) नहीं करेगा जिस समय अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी उसके कब्जे में हो:

परंतु यह कि अंतरंग व्यक्ति परिस्थितियों को दर्शाकर अपनी निर्दोषिता साबित कर सकता है, जिनमें निम्नलिखित परिस्थितियाँ सम्मिलित हैं :–

(i) संव्यवहार (ट्रांजेक्शन) संप्रवर्तकों, जिनके कब्जे में वही अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी थी, के बीच बाजार से परे (ऑफ मार्केट) परस्पर अंतरण विनियम 3 को भंग किये बिना हुआ और दोनों पक्षकारों (पार्टियों) ने व्यापार (ट्रेड) संबंधी निर्णय (विनिश्चय) पूरी तरह से सोच-समझकर लिया था;

(ii) जो अंतरंग व्यक्ति व्यष्टि न हों, उनके मामले में: –

(क) व्यष्टि, जिनके कब्जे में ऐसी अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी थी, व्यापार (ट्रेडिंग) संबंधी निर्णय लेने (विनिश्चय करने) वाले व्यष्टियों से भिन्न थे और निर्णय लेने (विनिश्चय करने) वाले ऐसे व्यष्टियों के कब्जे में उस समय ऐसी अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी नहीं थी जब उन्होंने व्यापार (ट्रेड) करने का निर्णय लिया (विनिश्चय किया) था; और

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए समुचित और पर्याप्त इंतजाम किये गये कि इन विनियमों का अतिक्रमण न हो और जिन व्यष्टियों के कब्जे में जानकारी थी उन व्यष्टियों द्वारा कोई भी अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी व्यापार (ट्रेडिंग) संबंधी निर्णय लेने (विनिश्चय करने) वाले व्यष्टियों को संसूचित नहीं की गयी थी और ऐसे इंतजामों को भंग किये जाने का कोई भी साक्ष्य नहीं है;

(iii) व्यापार (ट्रेड) विनियम 5 के अनुसार निर्धारित की गयी व्यापार योजना (ट्रेडिंग प्लान) के अनुसरण में किये गये थे ।

टिप्पण : *जिस समय प्रतिभूतियों में व्यापार (ट्रेड) करने वाले व्यक्ति के कब्जे में अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी रही हो, तो उस समय उसके द्वारा किये गये व्यापारों (ट्रेड) के बारे में यह माना* ***जाएगा*** *कि उसके द्वारा इस प्रकार किये गये व्यापार (ट्रेड) उसके कब्जे में रखी ऐसी जानकारी के भान से प्रेरित रहे । आशय यह है कि जिन कारणों से वह व्यापार (ट्रेड) करता है या जिन प्रयोजनों से वह संव्यवहारों (ट्रांजेक्सन) की आगमें (प्रोसीड्स) लगाता है, ऐसे कारण या ऐसे प्रयोजन यह तय करने के लिए उपयुक्त नहीं हैं कि किसी व्यक्ति ने विनियम का उल्लंघन (अतिक्रमण) किया है या नहीं । आरोप लगाते समय ही यह साबित करना आवश्यक होगा कि उसने व्यापार (ट्रेड) उस समय किया जब अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी उसके कब्जे में थी । एक बार जब यह सिद्ध हो जाये, तो अंतरंग व्यक्ति परंतुक में उल्लिखित परिस्थितियों को दर्शाकर अपनी निर्दोषिता (बेगुनाही) साबित कर सकता है, ऐसा न किये जाने पर यह माना* ***जाएगा*** *कि उसने प्रतिषेध का उल्लंघन (अतिक्रमण) किया होगा ।*

(2) संबद्ध व्यक्तियों के मामले में, यह सिद्ध करने का दायित्व कि अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी उनके कब्जे में नहीं थी, ऐसे संबद्ध व्यक्तियों पर होगा और अन्य मामलों में यह दायित्व बोर्ड पर होगा ।

(3) बोर्ड, समय-समय पर, ऐसे मानक और अपेक्षाएँ विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जैसा यह इन विनियमों के प्रयोजनार्थ आवश्यक समझे ।

व्यापार (ट्रेडिंग) योजनाएँ

5. (1) अंतरंग व्यक्ति व्यापार योजना बनाने का हकदार होगा और उसे अनुपालन अधिकारी को अनुमोदन तथा सार्वजनिक प्रकटीकरण के लिए पेश करेगा जिसके अनुसरण में व्यापार (ट्रेड) उसकी ओर से ऐसी योजना के अनुसार किये जा सकेंगे ।

टिप्पण: *इस प्रावधान का आशय उन व्यक्तियों को एक विकल्प देने का है जिनके कब्जे में अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी हमेशा रहती हो और उन्हें नियमबद्ध रूप से प्रतिभूतियों में व्यापार (ट्रेड) करने में समर्थ बनाने का है । इस प्रावधान से अंतरंग व्यक्ति व्यापार योजना बनाने में समर्थ होगा, ताकि वह भविष्य में किये जाने वाले व्यापारों (ट्रेड) के लिए योजना बना सके । ऐसा करने से, व्यापार योजना के तहत वास्तव में व्यापार (ट्रेड) किये जाने के समय अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी का होना, ऐसे व्यापारों (ट्रेड) को करने से प्रतिषिद्ध नहीं करेगा जिनके संबंध में वह अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी बनने से पहले ही निर्णय ले चुका था ।*

(2) ऐसी व्यापार योजना के अंतर्गत:-

(i) योजना के सार्वजनिक प्रकटीकरण से छह महीनों तक अंतरंग व्यक्ति की ओर से व्यापार (ट्रेडिंग) प्रारंभ नहीं किया **जाएगा**;

टिप्पण: *आशय यह है कि व्यापार योजना का लाभ पाने के लिए, छह महीनों की विराम-अवधि (कूलिंग-ऑफ पीरियड) आवश्यक है । ऐसी अवधि उस अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी, जो व्यापार योजना बनाते समय अंतरंग व्यक्ति के कब्जे में हो, के साधारणतः उपलब्ध जानकारी बनने के लिए काफी लंबी मानी जाती है । इसे उस समय-अंतराल के लिए भी उचित अवधि माना जा सकता है जिसके दौरान नयी अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी आ सकती हो, उस व्यापार योजना पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जो पहले से ही बनायी गयी हो । प्रत्येक स्थिति में, यह ध्यान रहे कि यह तो केवल कानूनी तौर पर दी गयी विराम-अवधि है और इससे कार्रवाई से उन्मुक्ति नहीं मिलेगी यदि अंतरंग व्यक्ति के कब्जे में वही अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी योजना बनाये जाने के समय और उसे कार्यान्वित किये जाने के समय थी ।*

(ii) किसी वित्तीय अवधि, जिसके लिए परिणामों की घोषणा प्रतिभूतियों के निर्गमकर्ता (इश्युअर) द्वारा की जानी अपेक्षित हो, के अंतिम दिन से पूर्व के व्यापार के बीसवें दिन और ऐसे वित्तीय परिणामों के प्रकटीकरण के पश्चात् व्यापार के दूसरे दिन के बीच की अवधि के दौरान व्यापार (ट्रेडिंग) नहीं किया **जाएगा**;

टिप्पण: *चूँकि व्यापार योजना की कल्पना उस साधारण नियम के अपवाद के रूप में की गयी है, जिसके अनुसार अंतरंग व्यक्ति उस समय व्यापार (ट्रेडिंग) नहीं कर सकते जिस समय उनके कब्जे में अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी हो, इसलिए यह महत्त्वपूर्ण है कि व्यापार योजना के अंतर्गत ऐसी मुनासिब अवधि के दौरान व्यापार (ट्रेडिंग) न किया जाये जो वित्तीय परिणाम घोषित किये जाने के आस-पास की अवधि हो क्योंकि उससे अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी उत्पन्न हो सकती हो ।*

(iii) कम से कम बारह महीनों की अवधि के लिए व्यापार (ट्रेडिंग) होगा;

टिप्पण: *आशय यह है कि छोटी-छोटी अवधियों के लिए व्यापार योजनाओं की बार-बार घोषणाएँ करना अनुचित होगा क्योंकि इनसे व्यापार (ट्रेड) करने के निर्णय और वास्तव में व्यापार (ट्रेड) किये जाने के बीच एक मुनासिब समय-अंतराल का तर्क महत्त्वहीन हो **जाएगा** । इसलिए, यह महसूस किया गया कि बारह महीनों का समय उचित रहेगा ।*

(iv) व्यापार (ट्रेडिंग) ऐसी अवधि के लिए नहीं होगा जिसके दौरान दूसरी व्यापार योजना पहले से ही विद्यमान हो;

टिप्पण: *आशय यह है कि एक ही समयावधि के दौरान अनेक व्यापार योजनाएँ चलाना उचित नहीं होगा । चूंकि अंतरंग व्यक्ति के लिए यह संभव होगा कि वह अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी को साधारणतः उपलब्ध जानकारी बनाने के लिए उसे प्रकाशित करने हेतु समय निर्धारित करे, बजाय इसके कि वह व्यापारों (ट्रेड) का समय निर्धारित करे, इसके लिए यह जरूरी है कि एक ही समयावधि के दौरान एक से अधिक योजना शुरू ही न की जा सके ।*

(v) या तो किये जाने वाले व्यापारों (ट्रेड) के मूल्य का या फिर जिन प्रतिभूतियों का व्यापार (ट्रेड) किया जाना हो उन प्रतिभूतियों की संख्या का, व्यापार (ट्रेड) के स्वरूप के साथ-साथ, और उन अंतरालों, या उन तारीखों का उल्लेख होगा, जब ऐसे व्यापार (ट्रेड) किये जायेंगे; और

टिप्पण: *आशय यह है कि जहाँ विनियम इस बारे में अधिक निर्देशात्मक और कड़े नहीं होने चाहिए कि व्यापार योजना के अंतर्गत क्या-क्या होना चाहिए, तो वहीं उनके अंतर्गत कुछ ऐसे मूलभूत मानदंड निर्धारित होने चाहिए जो व्यापार योजना में निहित हों और जिनके दायरे में योजना बनाते समय पूरी लचक रहे । व्यापार योजना के अंतर्गत व्यापारों (ट्रेड) का स्वरूप, अर्थात् अर्जन या व्ययन (डिस्पोज़ल), निर्धारित किया जाना चाहिए। व्यापार योजना के अंतर्गत उन प्रतिभूतियों के मूल्य को या उन प्रतिभूतियों की संख्या को भी निर्धारित किया जा सकेगा जिन प्रतिभूतियों में निवेश किया जाना हो या जिन प्रतिभूतियों को निर्निहित (डायवेस्ट) किया जाना हो । योजना के अंतर्गत निश्चित तारीखें और निश्चित समय-अंतराल निर्धारित किये जा सकेंगे ।*

(vi) बाजार के दुरुपयोग के लिए प्रतिभूतियों में व्यापार (ट्रेडिंग) नहीं किया **जाएगा** ।

टिप्पण: *ऐसी व्यापार योजना के आधार पर किया गया व्यापार (ट्रेडिंग) बाजार दुरुपयोग संबंधी कार्यवाहियों से पूर्ण उन्मुक्ति प्रदान नहीं करेगा । उदाहरण के लिए, विनियम 4 के साथ जोड़-तोड़ करके व्यापार योजना के तहत व्यापार (ट्रेडिंग) फायदेमंद हो सके, यह सुनिश्चित करने के लिए अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी दिये जाने के समय में हेरफेर किये जाने की दशा में, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति बाजार से संबंधित कपटपूर्ण और अऋजु व्यापारिक व्यापारों का प्रतिषेध) विनियम, 2003 के कथित उल्लंघन हेतु कार्यवाहियाँ शुरू की जा सकेंगी ।*

(3) अनुपालन अधिकारी यह निर्धारित करने के लिए व्यापार योजना की समीक्षा करेगा कि क्या इस योजना से इन विनियमों के अतिक्रमण की कोई संभावना हो सकती है और वह ऐसे स्पष्ट वचनों की माँग करने का हकदार होगा जो ऐसे निर्धारण को समर्थ बनाने और योजना के अनुमोदन तथा उसके कार्यान्वयन के अनुश्रवण के लिए आवश्यक हों।

टिप्पण: *आशय यह है कि अनुपालन अधिकारी को योजना की समीक्षा करनी होगी और उसे अनुमोदित करना होगा (मंजूरी देनी होगी)। ऐसा करने के लिए, वह अंतरंग व्यक्ति से यह घोषणा करने की अपेक्षा कर सकेगा कि उसके कब्जे में अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी नहीं है या यह कि वह यह सुनिश्चित करेगा कि जो भी अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी उसके कब्जे में हो वह अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी उसके द्वारा व्यापार (ट्रेड) प्रारंभ किये जाने से पहले साधारणतः उपलब्ध हो जाये। एक बार समाधान हो जाने पर, वह व्यापार योजना को अनुमोदित कर (मंजूरी दे) सकेगा, जिसे फिर इन विनियमों के अनुसार कार्यान्वित करना होगा।*

(4) एक बार अनुमोदित हो जाने के पश्चात् व्यापार योजना अप्रतिसंहरणीय होगी और अंतरंग व्यक्ति को अनिवार्यतः योजना कार्यान्वित करनी होगी, और इस प्रकार न तो वह

इससे विचलित होने का हकदार होगा और न ही वह व्यापार योजना के दायरे से बाहर प्रतिभूतियों में कोई व्यापार (ट्रेड) करने का हकदार होगा:

परंतु यह कि व्यापार योजना का कार्यान्वयन प्रारंभ नहीं किया **जाएगा** यदि कोई अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी, जो योजना बनाने के समय अंतरंग व्यक्ति के कब्जे में हो, कार्यान्वयन के प्रारंभ के समय साधारणतः उपलब्ध न हुई हो और ऐसी दशा में अनुपालन अधिकारी यह पुष्टि करेगा कि प्रारंभ को ऐसी अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी के साधारणतः उपलब्ध जानकारी बन जाने तक आस्थगित कर दिया जाये जिससे कि विनियम 4 के उप-विनियम (1) के अतिक्रमण से बचा जा सके।

टिप्पण: *आशय यह है कि चूँकि व्यापार योजना इस साधारण नियम की एक अपवाद है कि अंतरंग व्यक्ति (इनसाइडर) को उस समय व्यापार (ट्रेड) नहीं करना चाहिए जिस समय अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी उसके कब्जे में हो, इसलिए योजना में बदलाव करना या उसके दायरे से बाहर व्यापार (ट्रेडिंग) करना इस अपवाद के पीछे छुपे मकसद को बेअसर कर देगा। व्यापार योजना का असर बाजार के अन्य निवेशकों द्वारा लिए जाने वाले व्यापार (ट्रेडिंग) संबंधी निर्णयों पर और कीमत-निर्धारण पर भी पड़ेगा। इसलिये, यह उचित या उपयुक्त नहीं है कि अंतरंग व्यक्ति को उस व्यापार योजना से विचलित होने (में बदलाव करने) की अनुमति दी जाये जिसके आधार पर बाजार में दूसरों ने प्रतिभूतियों के संबंध में अपनी राय कायम की हो।*

ऊपर दिये गये परंतुक का आशय उस संभावना पर गौर करना है कि व्यापार योजना बनाये जाने और इसे शुरू किये जाने के बीच के छह महीने के अंतराल के बावजूद यह हो सकता है कि जो अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी अंतरंग व्यक्ति के कब्जे में हो, वह अब भी साधारणतः उपलब्ध न हो। ऐसी स्थिति में, योजना शुरू करना उस अध्यारोही सिद्धाँत के विरोध में होगा कि ऐसी जानकारी कब्जे में होने के दौरान व्यापार (ट्रेड) न किये जायें। यदि वही अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी अब भी अंतरंग व्यक्ति के कब्जे में हो, तो व्यापार योजना के निष्पादन के प्रारंभ को आस्थगित कर दिया जाना (टाल देना) चाहिए।

(5) व्यापार योजना का अनुमोदन हो जाने पर, अनुपालन अधिकारी योजना उन स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित करेगा जिन स्टॉक एक्सचेंजों में प्रतिभूतियाँ सूचीबद्ध हों।

टिप्पण: *आशय यह है कि विनियम 4 के अंतर्गत प्रतिषेधात्मक नियम के एक अहम अपवाद के मद्देनज़र, यह अपेक्षित है कि व्यापार योजना जनता को प्रसारित की जाये। बडे पैमाने पर बाजार में निवेश करने वाले निवेशक भी प्रतिभूतियों के अपने आकलन में और कीमत-निर्धारण में व्यापार योजना के अंतर्गत निहित संभावित संकेतकों पर इस आधार पर गौर करेंगे कि अंतरंग व्यक्ति अपनी व्यापार योजना में प्रतिभूतियों से संबंधित संभावनाओं को कैसे देखते हैं या प्रतिभूतियों के प्रति उनका क्या नज़रिया है।*

अध्याय–III

अंतरंग व्यक्तियों द्वारा व्यापार (ट्रेडिंग) के प्रकटीकरण

साधारण उपबंध

6. (1) इस अध्याय के अधीन प्रत्येक सार्वजनिक प्रकटीकरण ऐसे प्ररूप में किया जाएगा जैसा विनिर्दिष्ट किया जाए।

(2) इस अध्याय के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा किये जाने वाले प्रकटीकरणों में वे प्रकटीकरण सम्मिलित होंगे जो ऐसे व्यक्ति के सीधे नातेदारों द्वारा व्यापार (ट्रेडिंग), और किसी अन्य व्यक्ति, जिसके लिए ऐसा व्यक्ति व्यापार (ट्रेडिंग) से संबंधित निर्णय लेता (विनिश्चय करता) हो, द्वारा व्यापार (ट्रेडिंग) से संबंधित हों।

टिप्पण : *आशय यह है कि न केवल संबंधित व्यक्ति द्वारा किये गये व्यापारों (ट्रेड) का प्रकटीकरण करना होगा बल्कि सीधे नातेदारों द्वारा किये गये व्यापारों (ट्रेड) का भी प्रकटीकरण करना होगा, और ऐसे किन्हीं अन्य व्यक्तियों द्वारा किये गये व्यापारों (ट्रेड) का भी प्रकटीकरण करना होगा जिनके लिए संबंधित व्यक्ति व्यापार (ट्रेडिंग) संबंधी निर्णय (विनिश्चय) लेता हो । इन विनियमों का मुख्य उद्देश्य ऐसी स्थिति में व्यापार (ट्रेडिंग) से होने वाले दुरुपयोग को रोकना है जब अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी कब्जे में हो, और इसीलिये मायने यह रखता है कि क्या उस व्यक्ति के कब्जे में ऐसी जानकारी है जो व्यापार (ट्रेडिंग) संबंधी निर्णय लेता (विनिश्चय करता) है न कि यह कि क्या उस व्यक्ति के कब्जे में ऐसी जानकारी है जिसके पास व्यापारों (ट्रेड) का हक (टाइटल) है ।*

(3) प्रतिभूतियों में व्यापार (ट्रेडिंग) के प्रकटीकरणों में प्रतिभूतियों के व्युत्पन्नियों (डेरिवेटिव) में व्यापार (ट्रेडिंग) भी सम्मिलित होगा और इस अध्याय के प्रयोजनार्थ व्युत्पन्नियों के व्यापारित मूल्य (ट्रेडिड वैल्यू) पर विचार किया जाएगा :

परंतु यह कि प्रतिभूतियों के व्युत्पन्नियों में व्यापार (ट्रेडिंग) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा अनुज्ञात हो ।

(4) इस अध्याय के अधीन किये गये प्रकटीकरण कंपनी द्वारा, पाँच वर्षों की न्यूनतम अवधि हेतु, ऐसे रूप में रखे जाएंगे जैसा विनिर्दिष्ट किया जाए ।

कतिपय व्यक्तियों द्वारा प्रकटीकरण

7. (1) *आरंभिक प्रकटीकरण*

(क) प्रत्येक कंपनी, जिसकी प्रतिभूतियाँ किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हों, का प्रत्येक संप्रवर्तक, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक और निदेशक इन विनियमों के प्रभावी होने की तारीख को कंपनी की प्रतिभूतियों की अपनी धारिता (होल्डिंग), इन विनियमों के प्रभावी होने के तीस दिनों के भीतर कंपनी को प्रकट करेगा ;

(ख) कंपनी के मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या निदेशक के रूप में नियुक्त होने पर अथवा संप्रवर्तक बनने पर प्रत्येक व्यक्ति नियुक्ति या संप्रवर्तक बनने की तारीख को कंपनी की प्रतिभूतियों की अपनी धारिता (होल्डिंग), ऐसी नियुक्ति या इस प्रकार संप्रवर्तक बनने के सात दिनों के भीतर कंपनी को प्रकट करेगा ।

(2) *सतत प्रकटीकरण*

(क) प्रत्येक कंपनी का प्रत्येक संप्रवर्तक, कर्मचारी और निदेशक कंपनी को ऐसी प्रतिभूतियों (जिनका अर्जन या व्ययन किया गया) की संख्या ऐसे संव्यवहार (ट्रांजेक्शन) से व्यापार के दो दिनों (ट्रेडिंग डे) के भीतर प्रकट करेगा यदि व्यापारित प्रतिभूतियों के मूल्य, किसी कलैंडर तिमाही के दौरान चाहे एक संव्यवहार में या अनेक संव्यवहारों में, का योग ऐसा व्यापारित मूल्य हो जो दस लाख रुपये या ऐसे अन्य मूल्य जैसा विनिर्दिष्ट किया जाये से अधिक हो;

(ख) प्रत्येक कंपनी ऐसे व्यापार (ट्रेडिंग) के ब्यौरे, ऐसी जानकारी के प्रकटीकरण की प्राप्ति के या ऐसी जानकारी होने से व्यापार के दो दिनों (ट्रेडिंग डे) के भीतर, उस स्टॉक एक्सचेंज को सूचित करेगी जहाँ प्रतिभूतियाँ सूचीबद्ध हों।

स्पष्टीकरण.—शंकाओं को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि इस उप-विनियम के अधीन किसी प्रकटीकरण के पश्चात् और होने वाले संव्यवहारों का प्रकटीकरण किया **जाएगा**, जब पूर्व प्रकटीकरण के पश्चात् किये गये संव्यवहार उप-विनियम (2) के खंड (क) में विनिर्दिष्ट सीमा-रेखा (थ्रेसहोल्ड) पार कर जाए ।

अन्य संबद्ध व्यक्तियों द्वारा प्रकटीकरण

(3) कोई कंपनी, जिसकी प्रतिभूतियाँ स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हों, अपने विवेकानुसार किसी अन्य संबद्ध व्यक्ति या संबद्ध व्यक्तियों के वर्ग से यह अपेक्षा कर सकेगी कि वह कंपनी की प्रतिभूतियों में धारिताओं (होल्डिंग्स) तथा व्यापार (ट्रेडिंग) के प्रकटीकरण ऐसे प्ररूप में और ऐसे अंतराल पर करे, जैसा इन विनियमों के अनुपालन के अनुश्रवण के लिए कंपनी द्वारा अवधारित किया जाए ।

टिप्पण : *यह प्रावधान सूचीबद्ध (लिस्टिड) कंपनियों को उनसे जानकारी माँगने में समर्थ बनाता है जिनको सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी उपलब्ध करानी होती है । यह प्रावधान किसी कंपनी को ऐसी जानकारी मंगाने का अधिकार प्रदान करता है । उदाहरण के लिए, सूचीबद्ध कंपनी यह कह सकती है कि प्रबंध परामर्शदाता, जो उसे कारपोरेट नीति के संबंध में सलाह देगा और जिससे अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी की समीक्षा करना अपेक्षित होगा, अपने व्यापारों (ट्रेड) के प्रकटीकरण कंपनी को करे ।*

अध्याय–IV

उचित प्रकटीकरण संहिता और आचार संहिता

उचित प्रकटीकरण संहिता

8. (1) प्रत्येक कंपनी, जिसकी प्रतिभूतियाँ स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हों, का निदेशक बोर्ड, अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी के उचित प्रकटीकरण के लिए पद्धति एवं प्रक्रिया संहिता बनाएगा और उसे अपने अधिकृत वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा जिसका अनुसरण वह कंपनी इन विनियमों की अनुसूची-क में निर्धारित प्रत्येक सिद्धाँत का पालन करने के लिए करेगी, और साथ ही किसी भी प्रकार से इन विनियमों के उपबंधों के प्रभाव को कम नहीं किया जाएगा ।

***टिप्पण** : इस प्रावधान का आशय प्रत्येक कंपनी, जिसकी प्रतिभूतियाँ स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हों, से यह अपेक्षा करना है कि वह ऐसी घटनाओं आदि के उचित प्रकटीकरण हेतु एक निश्चित ढाँचा और नीति बनाये, जो बाजार में उसकी प्रतिभूतियों के कीमत-निर्धारण (प्राइस डिसक्रुरी) को प्रभावित कर सकती हों । अनुसूची में सिद्धाँत निर्धारित किये गये हैं, जैसे कि जानकारी तक पहुँच रखने की समानता के, नीतियों (जैसे लाभांश संबंधी, इनऑर्गेनिक ग्रोथ पर्सूट्स संबंधी, विश्लेषकों के साथ कॉल्स तथा बैठकों संबंधी) के प्रकाशन के, ऐसी कॉल्स तथा बैठकों की अनुलिपियों के प्रकाशन के, और इसी तरह की अन्य बातों के ।*

(2) अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी के उचित प्रकटीकरण के लिए प्रत्येक ऐसी पद्धति एवं प्रक्रिया संहिता और उसके प्रत्येक संशोधन की सूचना तुरंत उन स्टॉक एक्सचेंजों को दी जाएगी, जहाँ प्रतिभूतियाँ सूचीबद्ध हों ।

***टिप्पण :** इस प्रावधान का उद्देश्य उप-विनियम (1) के अंतर्गत बनायी गयी नीति के पारदर्शी प्रकटीकरण की अपेक्षा करना है ।*

आचार संहिता

9. (1) प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी का निदेशक बोर्ड और बाजार मध्यवर्ती, इन विनियमों के अनुपालन हेतु, अपने कर्मचारियों और अन्य संबद्ध व्यक्तियों द्वारा किये जाने वाले व्यापार (ट्रेडिंग) को विनियमित करने, उसका अनुश्रवण करने तथा उसकी रिपोर्ट देने के लिए एक आचार संहिता बनाएगा, जिसके अंतर्गत इन विनियमों की अनुसूची-ख में निर्धारित न्यूनतम मानकों को अपनाया जाएगा और साथ ही किसी भी प्रकार से इन विनियमों के उपबंधों के प्रभाव को कम नहीं किया जाएगा ।

***टिप्पण :** आशय यह है कि प्रत्येक कंपनी, जिसकी प्रतिभूतियाँ स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हों, और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक बाजार मध्यवर्ती (इंटरमीडियरी) से अनिवार्य रूप से यह अपेक्षित हो कि वह अपने कर्मचारियों द्वारा किये जाने वाले व्यापार (ट्रेडिंग) को विनियमित करने हेतु एक आचार संहिता बनाए । यह अपेक्षित है कि अनुसूची में निर्धारित मानकों का समावेश ऐसी आचार संहिता में अवश्य हो ।*

(2) प्रत्येक अन्य व्यक्ति, जिससे कारबारी कार्यकलापों के दौरान अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी से संबंधित कामकाज देखना अपेक्षित हो, इन विनियमों के अनुपालन हेतु, कर्मचारियों और अन्य संबद्ध व्यक्तियों द्वारा किये जाने वाले व्यापार (ट्रेडिंग) को विनियमित करने, उसका अनुश्रवण करने तथा उसकी रिपोर्ट देने के लिए एक आचार संहिता बनाएगा, जिसके अंतर्गत इन विनियमों की अनुसूची-ख में निर्धारित न्यूनतम मानकों को अपनाया जाएगा और साथ ही किसी भी प्रकार से इन विनियमों के उपबंधों के प्रभाव को कम नहीं किया जाएगा ।

***टिप्पण :** इस प्रावधान का आशय सूचीबद्ध कंपनियों और बाजार मध्यवर्तियों (इंटरमीडियरीज़) से भिन्न ऐसे व्यक्तियों,* जिनसे अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी *से संबंधित कामकाज देखना अपेक्षित हो, के लिए यह अनिवार्य करना है कि वे अपने कर्मचारियों द्वारा प्रतिभूतियों में किये जाने वाले व्यापार (ट्रेडिंग) को विनियमित करने हेतु एक आचार संहिता बनाएं । इन एंटिटियों के अंतर्गत सूचीबद्ध कंपनियों, बाजार मध्यवर्तियों और पूँजी बाजार (कैपिटल मार्केट) के अन्य सहभागियों (पार्टिसिपेंट) की सहायता करने वाली या को सलाह देने वाली व्यवसायिक फर्में शामिल हैं, जैसे लेखापरीक्षक (ऑडिटर), एकाउंटेंसी फर्में, विधि (लॉ) फर्में, विश्लेषक (एनालिस्ट), परामर्शदाता (कन्सलटेंट), आदि । यहाँ तक कि ऐसी एंटिटियाँ भी अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी से संबंधित कामकाज देख सकती हैं, जो सामान्यत: पूँजी बाजार के बाहर क्रियाशील हों । इस प्रावधान के अनुसार उन सभी को आचार संहिता बनानी होगी।*

(3) आचार संहिता बनाने वाली प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी, बाजार मध्यवर्ती और अन्य व्यक्ति इन विनियमों के अधीन आचार संहिता तथा अन्य अपेक्षाओं के पालन हेतु एक अनुपालन अधिकारी का चयन करेगा और उसे पदाभिहित करेगा ।

***टिप्पण** : इस प्रावधान का आशय किसी ज्येष्ठ अधिकारी को अनुपालन अधिकारी के रूप में पदाभिहित करना है, जो आचार संहिता के पालन हेतु और इन विनियमों के अनुपालन का अनुश्रवण करने के लिए जिम्मेदार होगा ।*

अध्याय– V

विविध

अतिक्रमणों के लिए अनुशास्ति

10. इन विनियमों के किसी उल्लंघन के संबंध में कार्रवाई बोर्ड द्वारा अधिनियम के अनुसार की जाएगी ।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

11. **इन विनियमों के उपबंधों के निर्वचन या लागू होने के संबंध में किन्हीं कठिनाइयों को दूर करने के लिए, बोर्ड को मार्गदर्शन टिप्पणों (गाइडेन्स नोट्स) या परिपत्रों (सर्कुलर्स) के माध्यम से निदेश जारी करने की शक्ति होगी** :

परंतु यह कि जहाँ कोई निदेश बोर्ड द्वारा इन विनियमों के किसी उपबंध के निर्वचन या लागू होने के संबंध में किसी विनिर्दिष्ट मामले में जारी किया जाता है, तो वहाँ ऐसा केवल संबंधित व्यक्तियों को सुनवाई का उचित अवसर दिये जाने के पश्चात् और निदेश के कारणों को अभिलिखित किये जाने के पश्चात् किया जाएगा ।

निरसन और व्यावृत्तियाँ

12. (1) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 1992 एतद्वारा निरसित किये जाते हैं ।

(2) ऐसा निरसन हो जाने पर भी,—

(क) निरसित विनियमों का पूर्व प्रवर्तन अथवा उनके अधीन सम्यक् रूप से की गयी या सहन की गयी कोई बात, निरसित विनियमों के अधीन अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत कोई अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व, निरसित विनियमों का उल्लंघन करते हुए किये गये किसी अपराध की बाबत उपगत कोई शास्ति, समपहरण या दंड, अथवा यथापूर्वोक्त किसी ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व, शास्ति, समपहरण या दंड की बाबत कोई अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार, अप्रभावित रहेंगे मानो कि निरसित विनियम कभी निरसित ही न हुए हों ; और

(ख) निरसित विनियमों के अधीन, ऐसे निरसन के पूर्व, की गयी किसी बात या की गयी किसी कार्रवाई अथवा किये जाने के लिए तात्पर्यित किसी बात या किसी कार्रवाई, जिसमें प्रारंभ किया गया कोई न्यायनिर्णयन, जाँच या अन्वेषण अथवा जारी की गयी कारण बताओ सूचना सम्मिलित है, के बारे में यह समझा जाएगा कि वह इन विनियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गयी है ;

(3) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 1992 के निरसन के पश्चात्, बोर्ड द्वारा बनाये गये किन्हीं अन्य विनियमों, तदधीन जारी मार्गदर्शक सिद्धाँतों (गाइडलाइन्स) या परिपत्रों में उसके किसी संदर्भ के बारे में यह समझा जाएगा कि वह इन विनियमों के तत्स्थानी उपबंधों के प्रति एक संदर्भ है ।

अनुसूची-क

[विनियम 8 का उप-विनियम (1) देखें]

अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी के उचित प्रकटीकरण हेतु पद्धति एवं प्रक्रिया संहिता के प्रयोजनार्थ उचित प्रकटीकरण के सिद्धाँत

1. विश्वसनीय और ठोस जानकारी के आते ही अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी (जो कीमत-निर्धारण को प्रभावित कर सकती हो) का तुरंत सार्वजनिक प्रकटीकरण, ताकि ऐसी जानकारी साधारणत: उपलब्ध हो सके ।

2. अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी का एकसमान और व्यापक प्रसार, ताकि चुनिंदा प्रकटीकरण से बचा जा सके ।

3. जानकारी के प्रसार और अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी के प्रकटीकरण हेतु किसी ज्येष्ठ अधिकारी को मुख्य निवेशक संपर्क अधिकारी के रूप में पदाभिहित करना ।

4. जिस अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी का अनजाने में या अन्यथा चुनिंदा प्रकटीकरण हो गया हो, उस अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी का तुरंत प्रसार करना ताकि ऐसी जानकारी साधारणत: उपलब्ध हो सके ।

5. समाचार रिपोर्टों पर आधारित प्रश्नों आदि और विनियामक प्राधिकरणों (रेग्यूलेटरी ऑथारिटीज़) द्वारा बाजार अफवाहों के सत्यापन के अनुरोधों के प्रति उपयुक्त एवं निष्पक्ष प्रतिक्रिया ।

6. यह सुनिश्चित करना कि विश्लेषकों और अनुसंधान कार्मिकों के साथ साझा की जाने वाली जानकारी अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी न हो।

7. विश्लेषकों के साथ बैठकों और अन्य निवेश संपर्क संबंधी सम्मेलनों की कार्यवाहियों की अनुलिपियाँ या के अभिलेख अधिकृत वेबसाइट पर उपलब्ध कराने हेतु सर्वोत्तम पद्धतियाँ विकसित करना, ताकि आधिकारिक पुष्टि और किये गये प्रकटीकरणों का डॉक्यूमेंटेशन सुनिश्चित हो सके।

8. जानने की आवश्यकता के आधार पर समस्त अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी का प्रबंधन।

अनुसूची-ख

[विनियम 9 का उप-विनियम (1) एवं उप-विनियम (2) देखें]

अंतरंग व्यक्तियों द्वारा व्यापार (ट्रेडिंग) को विनियमित करने, उसका अनुश्रवण करने तथा उसकी रिपोर्ट देने संबंधी आचार संहिता हेतु न्यूनतम मानक

1. **अनुपालन अधिकारी निदेशक बोर्ड को रिपोर्ट करेगा और विशिष्टतया, लेखापरीक्षा (ऑडिट) समिति, यदि कोई हो, के अध्यक्ष को या निदेशक बोर्ड के अध्यक्ष को ऐसे अंतराल पर रिपोर्टें देगा, जैसा निदेशक बोर्ड द्वारा नियत किया जाए।**

2. समस्त जानकारी संगठन के भीतर ही, जानने की आवश्यकता के आधार पर, दी जाएगी और कोई भी अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी किसी व्यक्ति को संसूचित नहीं की जाएगी, सिवाय वहाँ जहाँ ऐसी संसूचना अंतरंग व्यक्ति के विधिसम्मत प्रयोजनों, कर्तव्यों के पालन या उसकी विधिक बाध्यताओं के निर्वहन हेतु हो। आचार संहिता में चाइनीज़ वॉल संबंधी उपयुक्त प्रक्रियाओं हेतु मानक, और किसी पदाभिहित व्यक्ति को "क्रॉस द वॉल" हेतु अनुमति देने संबंधी प्रक्रियाएँ शामिल होंगी।

3. संगठन में अपनी कार्यात्मक भूमिका के आधार पर पदाभिहित कर्मचारी और संबद्ध व्यक्ति ("**पदाभिहित व्यक्ति**") प्रतिभूतियों में व्यौहार (डीलिंग) को विनियमित करने वाली आंतरिक आचार संहिता द्वारा विनियमित होंगे। निदेशक बोर्ड अनुपालन अधिकारी के परामर्श से ऐसे पदाभिहित व्यक्तियों को विनिर्दिष्ट करेगा, जिन्हें संगठन में उनकी भूमिका और कार्य के आधार पर ऐसी संहिता के दायरे में लाया जाना हो। ज्येष्ठता और पेशेबद्ध पद के अलावा, उस पहुँच पर भी पूरा ध्यान दिया जाएगा जिसके अनुसार ऐसी भूमिका और ऐसे कार्य के फलस्वरूप अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी तक पहुँच उपलब्ध होती हो।

4. पदाभिहित व्यक्ति इन विनियमों के अनुपालन के अध्यधीन व्यापार (ट्रेड) कर सकेंगे। इस उद्देश्य हेतु, आनुमानिक व्यापार पटल (नोशनल ट्रेडिंग विंडो) का इस्तेमाल पदाभिहित व्यक्तियों द्वारा किये जाने वाले व्यापार (ट्रेडिंग) पर निगरानी रखने (को मॉनीटर करने) के एक जरिये के तौर पर किया जाएगा। व्यापार पटल (ट्रेडिंग विंडो) तब बंद कर दिया जाएगा जब अनुपालन अधिकारी को यह निश्चित हो जाये कि ऐसी युक्तियुक्त प्रत्याशा है कि पदाभिहित व्यक्ति या पदाभिहित व्यक्तियों के वर्ग के कब्जे में अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी है। इस प्रकार ऐसी प्रतिभूतियों के संबंध में व्यापार पटल (ट्रेडिंग विंडो) बंद कराया जाएगा, जिनसे ऐसी अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी संबंध रखती हो। जिस समय व्यापार पटल (ट्रेडिंग विंडो) बंद हो, उस समय पदाभिहित व्यक्ति और उनके सीधे नातेदार प्रतिभूतियों में व्यापार (ट्रेड) नहीं करेंगे।

5. व्यापार पटल (ट्रेडिंग विंडो) के पुन: खुलने का समय अनुपालन अधिकारी द्वारा विभिन्न कारकों पर विचार करके तय किया **जाएगा**, जिनमें सम्मिलित हैं – संबद्ध अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी का साधारणत: उपलब्ध जानकारी बन जाना और बाजार द्वारा समावेश के लायक बनना, जो किसी भी दशा में जानकारी के साधारणत: उपलब्ध जानकारी बन जाने के पश्चात् अड़तालीस घंटों से पहले नहीं होगा। व्यापार पटल (ट्रेडिंग विंडो) ऐसे किसी व्यक्ति के लिए भी लागू होगा जिसका कंपनी के साथ संविदात्मक या वैश्वासिक संबंध हो, जैसे लेखापरीक्षक (ऑडिटर), अकाउंटेंसी फर्में, विधि (लॉ) फर्में, विश्लेषक, परामर्शदाता, आदि, जो कंपनी की सहायता करते हों या को सलाह देते हों।

6. जिस समय व्यापार पटल (ट्रेडिंग विंडो) खुला हो, उस समय पदाभिहित व्यक्तियों द्वारा व्यापार (ट्रेडिंग) अनुपालन अधिकारी की पूर्व-मंजूरी के अध्यधीन होगा, यदि प्रस्तावित व्यापारों (ट्रेड) का मूल्य ऐसी सीमाओं (थ्रेसहोल्ड) से अधिक हो, जो निदेशक बोर्ड निर्धारित करे। कोई भी पदाभिहित व्यक्ति किसी प्रस्तावित व्यापार (ट्रेड) की पूर्व-मंजूरी के लिए आवेदन नहीं करेगा यदि ऐसे पदाभिहित व्यक्ति के कब्जे में अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी हो फिर भले ही व्यापार पटल (ट्रेडिंग विंडो) बंद न हुआ हो।

7. अनुपालन अधिकारी गोपनीय रूप से ऐसी प्रतिभूतियों की सूची "निर्बंधित सूची" के रूप में रखेगा, जिसका इस्तेमाल व्यापारों (ट्रेड) की पूर्व-मंजूरी के आवेदनों को मंजूर (अनुमोदित) करने या नामंजूर करने के आधार के तौर पर किया जाएंगा ।

8. किन्हीं व्यापारों (ट्रेड) को अनुमोदित करने से पूर्व, अनुपालन अधिकारी इस आशय की घोषणाएँ मंगाने का हकदार होगा कि पूर्व-मंजूरी हेतु आवेदन करने वाले आवेदक के कब्जे में कोई अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी नहीं है । वह इस बात पर भी ध्यान देगा कि क्या कोई ऐसी घोषणा तर्कसंगत रूप से गलत ठहरायी जा सकने योग्य है।

9. आचार संहिता में किसी ऐसी उपयुक्त समय-सीमा का उल्लेख होगा, जो किसी भी दशा में व्यापार के सात दिनों (ट्रेडिंग-डे) से अधिक नहीं होगी, जिसके भीतर पदाभिहित व्यक्ति को वे व्यापार (ट्रेड) करने होंगे जिनके लिए पूर्व-मंजूरी दी जा चुकी हो, ऐसा न होने की स्थिति में किये जाने वाले व्यापारों (ट्रेड) के लिए फिर से पूर्व-मंजूरी लेनी होगी।

10. आचार संहिता में उस अवधि का उल्लेख होगा, जो किसी भी दशा में छह महीनों से कम की नहीं होगी, जिसके भीतर वह पदाभिहित व्यक्ति जिसे व्यापार (ट्रेड) करने की अनुमति हो, कॉण्ट्रा ट्रेड नहीं करेगा । अनुपालन अधिकारी को यह शक्ति दी जा सकेगी कि वह, ऐसे कारणों से जो लिखित रूप में अभिलिखित किये जाएंगे, ऐसे निर्बंधन के कड़ाई से लागू होने को शिथिल कर सकेगा बशर्ते कि इस प्रकार शिथिल किये जाने से इन विनियमों का अतिक्रमण (उल्लंघन) न हो । अगर कॉण्ट्रा ट्रेड, चाहे अनजाने में या अन्यथा, ऐसे निर्बंधन का उल्लंघन करके किया जाये, तो ऐसे व्यापार (ट्रेड) से होने वाले मुनाफे (लाभ) बोर्ड को प्रत्यर्पित किये (लौटाये) जाने के दायी होंगे, ताकि उन्हें निवेशक संरक्षण और शिक्षण निधि, जिसका संचालन अधिनियम के अधीन बोर्ड द्वारा किया जाता है, में जमा किया जा सके ।

11. आचार संहिता में ऐसे फार्मेट निर्धारित होंगे, जो निदेशक बोर्ड - पूर्व-मंजूरी के लिए आवेदन करने के संबंध में, किये गये व्यापारों (ट्रेड) की रिपोर्ट देने के संबंध में, पूर्व-मंजूरी प्राप्त करने के पश्चात् व्यापार (ट्रेड) न करने के निर्णयों (विनिश्चयों) की रिपोर्ट देने के संबंध में, ऐसे निर्णयों (विनिश्चयों) के कारणों को अभिलिखित करने के संबंध में और ऐसे अंतरालों (जो आवश्यकतानुसार निर्धारित किये जायें) पर प्रतिभूतियों में धारिताओं (होल्डिंग्स) के रिपोर्टिंग लैवल (स्तर) के संबंध में, इन विनियमों के अनुपालन पर निगरानी रखने (को मॉनीटर करने) के लिए आवश्यक समझे ।

12. अधिनियम के अधीन बोर्ड की शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, आचार संहिता में ऐसी अनुशास्तियों (सैंक्शन्स) और अनुशासनिक कार्रवाइयों का उल्लेख होगा, जिनमें सम्मिलित हैं – वेतन आदि पर रोक, निलंबन, आदि, जो उन व्यक्तियों द्वारा, आचार संहिता के उल्लंघन के लिए, अधिरोपित की जा सकेंगी, जिन व्यक्तियों से विनियम 9 के उप-विनियम (1) तथा उप-विनियम (2) के अधीन आचार संहिता बनाना अपेक्षित है ।

13. आचार संहिता में यह उल्लेख होगा कि यदि उन व्यक्तियों द्वारा, जिनसे विनियम 9 के उप-विनियम (1) तथा उप-विनियम (2) के अधीन आचार संहिता बनाना अपेक्षित है, यह पाया जाये कि इन विनियमों का अतिक्रमण (उल्लंघन) हुआ है, तो वे तुरंत बोर्ड को सूचित करेंगे ।

यू. के. सिन्हा, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/4/असा./ 69 जेड बी/14]

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 15th January, 2015

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (PROHIBITION OF INSIDER TRADING) REGULATIONS, 2015

No. LAD/NRO/GN/2014-15/21/85.—In exercise of the powers conferred by Section 30 read with clause (g) of sub-section (2) of Section 11 and clause (d) and clause (e) of Section 12A of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations, to put in place a framework for prohibition of insider trading in securities and to strengthen the legal framework thereof, namely:—

CHAPTER – I

PRELIMINARY

Short title and commencement.

1. (1) These regulations may be called the SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015.

(2) These regulations shall come into force on the one hundred and twentieth day from the date of its publication in the Official Gazette.

Definitions.

2. (1) In these regulations, unless the context otherwise requires, the following words, expressions and derivations therefrom shall have the meanings assigned to them as under:–

(a) "Act" means the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992);

(b) "Board" means the Securities and Exchange Board of India;

(c) "compliance officer" means any senior officer, designated so and reporting to the board of directors or head of the organization in case board is not there, who is financially literate and is capable of appreciating requirements for legal and regulatory compliance under these regulations and who shall be responsible for compliance of policies, procedures, maintenance of records, monitoring adherence to the rules for the preservation of unpublished price sensitive information, monitoring of trades and the implementation of the codes specified in these regulations under the overall supervision of the board of directors of the listed company or the head of an organization, as the case may be;

(d) "connected person" means,-

(i) any person who is or has during the six months prior to the concerned act been associated with a company, directly or indirectly, in any capacity including by reason of frequent communication with its officers or by being in any contractual, fiduciary or employment relationship or by being a director, officer or an employee of the company or holds any position including a professional or business relationship between himself and the company whether temporary or permanent, that allows such person, directly or indirectly, access to unpublished price sensitive information or is reasonably expected to allow such access.

(ii) Without prejudice to the generality of the foregoing, the persons falling within the following categories shall be deemed to be connected persons unless the contrary is established, -

(a). an immediate relative of connected persons specified in clause (i); or

(b). a holding company or associate company or subsidiary company; or

(c). an intermediary as specified in section 12 of the Act or an employee or director thereof; or

(d). an investment company, trustee company, asset management company or an employee or director thereof; or

(e). an official of a stock exchange or of clearing house or corporation; or

(f). a member of board of trustees of a mutual fund or a member of the board of directors of the asset management company of a mutual fund or is an employee thereof; or

(g). a member of the board of directors or an employee, of a public financial institution as defined in section 2 (72) of the Companies Act, 2013; or

(h). an official or an employee of a self-regulatory organization recognised or authorized by the Board; or

(i). a banker of the company; or

(j). a concern, firm, trust, Hindu undivided family, company or association of persons wherein a director of a company or his immediate relative or banker of the company, has more than ten per cent. of the holding or interest;

***NOTE**: It is intended that a connected person is one who has a connection with the company that is expected to put him in possession of unpublished price sensitive information. Immediate relatives and other categories of persons specified above are also presumed to be connected persons but such a presumption is a deeming legal fiction and is rebuttable. This definition is also intended to bring into its ambit persons who may not seemingly occupy any position in a company but are in regular touch with the company and its officers and are involved in the know of the company's operations. It is intended to bring within its ambit those who would have access to or could access unpublished price sensitive information about any company or class of companies by virtue of any connection that would put them in possession of unpublished price sensitive information.*

(e) "generally available information" means information that is accessible to the public on a non-discriminatory basis;

NOTE*: It is intended to define what constitutes generally available information so that it is easier to crystallize and appreciate what unpublished price sensitive information is. Information published on the website of a stock exchange, would ordinarily be considered generally available.*

(f) "immediate relative" means a spouse of a person, and includes parent, sibling, and child of such person or of the spouse, any of whom is either dependent financially on such person, or consults such person in taking decisions relating to trading in securities;

NOTE*: It is intended that the immediate relatives of a "connected person" too become connected persons for purposes of these regulations. Indeed, this is a rebuttable presumption.*

(g) "insider" means any person who is:

(i) a connected person; or

(ii) in possession of or having access to unpublished price sensitive information;

NOTE*: Since "generally available information" is defined, it is intended that anyone in possession of or having access to unpublished price sensitive information should be considered an "insider" regardless of how one came in possession of or had access to such information. Various circumstances are provided for such a person to demonstrate that he has not indulged in insider trading. Therefore, this definition is intended to bring within its reach any person who is in receipt of or has access to unpublished price sensitive information. The onus of showing that a certain person was in possession of or had access to unpublished price sensitive information at the time of trading would, therefore, be on the person leveling the charge after which the person who has traded when in possession of or having access to unpublished price sensitive information may demonstrate that he was not in such possession or that he has not traded or or he could not access or that his trading when in possession of such information was squarely covered by the exonerating circumstances.*

(h) "promoter" shall have the meaning assigned to it under the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 or any modification thereof;

(i) "securities" shall have the meaning assigned to it under the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956) or any modification thereof except units of a mutual fund;

(j) "specified" means specified by the Board in writing;

(k) "takeover regulations" means the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 and any amendments thereto;

(l) "trading" means and includes subscribing, buying, selling, dealing, or agreeing to subscribe, buy, sell, deal in any securities, and "trade" shall be construed accordingly ;

NOTE*: Under the parliamentary mandate, since the Section 12A (e) and Section 15G of the Act employs the term 'dealing in securities', it is intended to widely define the term "trading" to include dealing. Such a construction is intended to curb the activities based on unpublished price sensitive information which are strictly not buying, selling or subscribing, such as pledging etc when in possession of unpublished price sensitive information.*

(m) "trading day" means a day on which the recognized stock exchanges are open for trading;

(n) "unpublished price sensitive information" means any information, relating to a company or its securities, directly or indirectly, that is not generally available which upon becoming generally available, is likely to materially affect the price of the securities and shall, ordinarily including but not restricted to, information relating to the following: –

(i) financial results;

(ii) dividends;

(iii) change in capital structure;

(iv) mergers, de-mergers, acquisitions, delistings, disposals and expansion of business and such other transactions;

(v) changes in key managerial personnel; and

(vi) material events in accordance with the listing agreement.

NOTE*: It is intended that information relating to a company or securities, that is not generally available would be unpublished price sensitive information if it is likely to materially affect the price upon coming into*

the public domain. The types of matters that would ordinarily give rise to unpublished price sensitive information have been listed above to give illustrative guidance of unpublished price sensitive information.

(2) Words and expressions used and not defined in these regulations but defined in the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956), the Depositories Act, 1996 (22 of 1996) or the Companies Act, 2013 (18 of 2013) and rules and regulations made thereunder shall have the meanings respectively assigned to them in those legislation.

CHAPTER – II

RESTRICTIONS ON COMMUNICATION AND TRADING BY INSIDERS

Communication or procurement of unpublished price sensitive information.

3. (1) No insider shall communicate, provide, or allow access to any unpublished price sensitive information, relating to a company or securities listed or proposed to be listed, to any person including other insiders except where such communication is in furtherance of legitimate purposes, performance of duties or discharge of legal obligations.

NOTE: *This provision is intended to cast an obligation on all insiders who are essentially persons in possession of unpublished price sensitive information to handle such information with care and to deal with the information with them when transacting their business strictly on a need-to-know basis. It is also intended to lead to organisations developing practices based on need-to-know principles for treatment of information in their possession.*

(2) No person shall procure from or cause the communication by any insider of unpublished price sensitive information, relating to a company or securities listed or proposed to be listed, except in furtherance of legitimate purposes, performance of duties or discharge of legal obligations.

NOTE*: This provision is intended to impose a prohibition on unlawfully procuring possession of unpublished price sensitive information. Inducement and procurement of unpublished price sensitive information not in furtherance of one's legitimate duties and discharge of obligations would be illegal under this provision.*

(3) Notwithstanding anything contained in this regulation, an unpublished price sensitive information may be communicated, provided, allowed access to or procured, in connection with a transaction that would:–

(i) entail an obligation to make an open offer under the takeover regulations where the board of directors of the company is of informed opinion that the proposed transaction is in the best interests of the company;

NOTE*: It is intended to acknowledge the necessity of communicating, providing, allowing access to or procuring UPSI for substantial transactions such as takeovers, mergers and acquisitions involving trading in securities and change of control to assess a potential investment. In an open offer under the takeover regulations, not only would the same price be made available to all shareholders of the company but also all information necessary to enable an informed divestment or retention decision by the public shareholders is required to be made available to all shareholders in the letter of offer under those regulations.*

(ii) not attract the obligation to make an open offer under the takeover regulations but where the board of directors of the company is of informed opinion that the proposed transaction is in the best interests of the company and the information that constitute unpublished price sensitive information is disseminated to be made generally available at least two trading days prior to the proposed transaction being effected in such form as the board of directors may determine.

NOTE*: It is intended to permit communicating, providing, allowing access to or procuring UPSI also in transactions that do not entail an open offer obligation under the takeover regulations if it is in the best interests of the company. The board of directors, however, would cause public disclosures of such unpublished price sensitive information well before the proposed transaction to rule out any information asymmetry in the market.*

(4) For purposes of sub-regulation (3), the board of directors shall require the parties to execute agreements to contract confidentiality and non-disclosure obligations on the part of such parties and such parties shall keep information so received confidential, except for the purpose of sub-regulation (3), and shall not otherwise trade in securities of the company when in possession of unpublished price sensitive information.

Trading when in possession of unpublished price sensitive information.

4. (1) No insider shall trade in securities that are listed or proposed to be listed on a stock exchange when in possession of unpublished price sensitive information:

Provided that the insider may prove his innocence by demonstrating the circumstances including the following : –

(i) the transaction is an off-market *inter-se* transfer between promoters who were in possession of the same unpublished price sensitive information without being in breach of regulation 3 and both parties had made a conscious and informed trade decision;

(ii) in the case of non-individual insiders: –

(a) the individuals who were in possession of such unpublished price sensitive information were different from the individuals taking trading decisions and such decision-making individuals were not in possession of such unpublished price sensitive information when they took the decision to trade; and

(b) appropriate and adequate arrangements were in place to ensure that these regulations are not violated and no unpublished price sensitive information was communicated by the individuals possessing the information to the individuals taking trading decisions and there is no evidence of such arrangements having been breached;

(iii) the trades were pursuant to a trading plan set up in accordance with regulation 5.

***NOTE**: When a person who has traded in securities has been in possession of unpublished price sensitive information, his trades would be presumed to have been motivated by the knowledge and awareness of such information in his possession. The reasons for which he trades or the purposes to which he applies the proceeds of the transactions are not intended to be relevant for determining whether a person has violated the regulation. He traded when in possession of unpublished price sensitive information is what would need to be demonstrated at the outset to bring a charge. Once this is established, it would be open to the insider to prove his innocence by demonstrating the circumstances mentioned in the proviso, failing which he would have violated the prohibition.*

(2) In the case of connected persons the onus of establishing, that they were not in possession of unpublished price sensitive information, shall be on such connected persons and in other cases, the onus would be on the Board.

(3) The Board may specify such standards and requirements, from time to time, as it may deem necessary for the purpose of these regulations.

Trading Plans.

5. (1) An insider shall be entitled to formulate a trading plan and present it to the compliance officer for approval and public disclosure pursuant to which trades may be carried out on his behalf in accordance with such plan.

***NOTE**: This provision intends to give an option to persons who may be perpetually in possession of unpublished price sensitive information and enabling them to trade in securities in a compliant manner. This provision would enable the formulation of a trading plan by an insider to enable him to plan for trades to be executed in future. By doing so, the possession of unpublished price sensitive information when a trade under a trading plan is actually executed would not prohibit the execution of such trades that he had pre-decided even before the unpublished price sensitive information came into being.*

(2) Such trading plan shall:–

(i) not entail commencement of trading on behalf of the insider earlier than six months from the public disclosure of the plan;

***NOTE**: It is intended that to get the benefit of a trading plan, a cool-off period of six months is necessary. Such a period is considered reasonably long for unpublished price sensitive information that is in possession of the insider when formulating the trading plan, to become generally available. It is also considered to be a reasonable period for a time lag in which new unpublished price sensitive information may come into being without adversely affecting the trading plan formulated earlier. In any case, it should be remembered that this is only a statutory cool-off period and would not grant immunity from action if the insider were to be in possession of the same unpublished price sensitive information both at the time of formulation of the plan and implementation of the same.*

(ii) not entail trading for the period between the twentieth trading day prior to the last day of any financial period for which results are required to be announced by the issuer of the securities and the second trading day after the disclosure of such financial results;

***NOTE**: Since the trading plan is envisaged to be an exception to the general rule prohibiting trading by insiders when in possession of unpublished price sensitive information, it is important that the trading plan does not entail trading for a reasonable period around the declaration of financial results as that would generate unpublished price sensitive information.*

(iii) entail trading for a period of not less than twelve months;

***NOTE**: It is intended that it would be undesirable to have frequent announcements of trading plans for short periods of time rendering meaningless the defence of a reasonable time gap between the decision to trade and the actual trade. Hence it is felt that a reasonable time would be twelve months.*

(iv) not entail overlap of any period for which another trading plan is already in existence;

***NOTE**: It is intended that it would be undesirable to have multiple trading plans operating during the same time period. Since it would be possible for an insider to time the publication of the unpublished price sensitive information to make it generally available instead of timing the trades, it is important not to have the ability to initiate more than one plan covering the same time period.*

(v) set out either the value of trades to be effected or the number of securities to be traded along with the nature of the trade and the intervals at, or dates on which such trades shall be effected; and

***NOTE**: It is intended that while regulations should not be too prescriptive and rigid about what a trading plan should entail, they should stipulate certain basic parameters that a trading plan should conform to and within which, the plan may be formulated with full flexibility. The nature of the trades entailed in the trading plan i.e. acquisition or disposal should be set out. The trading plan may set out the value of securities or the number of securities to be invested or divested. Specific dates or specific time intervals may be set out in the plan.*

(vi) not entail trading in securities for market abuse.

***NOTE:** Trading on the basis of such a trading plan would not grant absolute immunity from bringing proceedings for market abuse. For instance, in the event of manipulative timing of the release of unpublished price sensitive information to ensure that trading under a trading plan becomes lucrative in circumvention of regulation 4 being detected, it would be open to initiate proceedings for alleged breach of SEBI (Prohibition of Fraudulent and Unfair Trade Practices Relating to the Securities Market) Regulations, 2003.*

(3) The compliance officer shall review the trading plan to assess whether the plan would have any potential for violation of these regulations and shall be entitled to seek such express undertakings as may be necessary to enable such assessment and to approve and monitor the implementation of the plan.

***NOTE**: It is intended that the compliance officer would have to review and approve the plan. For doing so, he may need the insider to declare that he is not in possession of unpublished price sensitive information or that he would ensure that any unpublished price sensitive information in his possession becomes generally available before he commences executing his trades. Once satisfied, he may approve the trading plan, which would then have to be implemented in accordance with these regulations.*

(4) The trading plan once approved shall be irrevocable and the insider shall mandatorily have to implement the plan, without being entitled to either deviate from it or to execute any trade in the securities outside the scope of the trading plan.

Provided that the implementation of the trading plan shall not be commenced if any unpublished price sensitive information in possession of the insider at the time of formulation of the plan has not become generally available at the time of the commencement of implementation and in such event the compliance officer shall confirm that the commencement ought to be deferred until such unpublished price sensitive information becomes generally available information so as to avoid a violation of sub-regulation (1) of regulation 4.

***NOTE**: It is intended that since the trading plan is an exception to the general rule that an insider should not trade when in possession of unpublished price sensitive information, changing the plan or trading outside the same would negate the intent behind the exception. Other investors in the market, too, would factor the impact of the trading plan on their own trading decisions and in price discovery. Therefore, it is not fair or desirable to permit the insider to deviate from the trading plan based on which others in the market have assessed their views on the securities.*

The proviso is intended to address the prospect that despite the six-month gap between the formulation of the trading plan and its commencement, the unpublished price sensitive information in possession of the insider is still not generally available. In such a situation, commencement of the plan would conflict with the over-riding principle that trades should not be executed when in possession of such information. If the very same unpublished price sensitive information is still in the insider's possession, the commencement of execution of the trading plan ought to be deferred.

(5) Upon approval of the trading plan, the compliance officer shall notify the plan to the stock exchanges on which the securities are listed.

***NOTE**: It is intended that given the material exception to the prohibitory rule in regulation 4, a trading plan is required to be publicly disseminated. Investors in the market at large would also factor the potential pointers in the trading plan in their own assessment of the securities and price discovery for them on the premise of how the insiders perceive the prospects or approach the securities in their trading plan.*

CHAPTER – III

DISCLOSURES OF TRADING BY INSIDERS

General provisions.

6. (1) Every public disclosure under this Chapter shall be made in such form as may be specified.

(2) The disclosures to be made by any person under this Chapter shall include those relating to trading by such person's immediate relatives, and by any other person for whom such person takes trading decisions.

***NOTE**: It is intended that disclosure of trades would need to be of not only those executed by the person concerned but also by the immediate relatives and of other persons for whom the person concerned takes trading decisions. These regulations are primarily aimed at preventing abuse by trading when in possession of unpublished price sensitive information and therefore, what matters is whether the person who takes trading decisions is in possession of such information rather than whether the person who has title to the trades is in such possession.*

(3) The disclosures of trading in securities shall also include trading in derivatives of securities and the traded value of the derivatives shall be taken into account for purposes of this Chapter:

Provided that trading in derivatives of securities is permitted by any law for the time being in force.

(4) The disclosures made under this Chapter shall be maintained by the company, for a minimum period of five years, in such form as may be specified.

Disclosures by certain persons.

7. (1) *Initial Disclosures.*

(a) Every promoter, key managerial personnel and director of every company whose securities are listed on any recognised stock exchange shall disclose his holding of securities of the company as on the date of these regulations taking effect, to the company within thirty days of these regulations taking effect;

(b) Every person on appointment as a key managerial personnel or a director of the company or upon becoming a promoter shall disclose his holding of securities of the company as on the date of appointment or becoming a promoter, to the company within seven days of such appointment or becoming a promoter.

(2) *Continual Disclosures.*

(a) Every promoter, employee and director of every company shall disclose to the company the number of such securities acquired or disposed of within two trading days of such transaction if the value of the securities traded, whether in one transaction or a series of transactions over any calendar quarter, aggregates to a traded value in excess of ten lakh rupees or such other value as may be specified;

(b) Every company shall notify the particulars of such trading to the stock exchange on which the securities are listed within two trading days of receipt of the disclosure or from becoming aware of such information.

Explanation.—It is clarified for the avoidance of doubts that the disclosure of the incremental transactions after any disclosure under this sub-regulation, shall be made when the transactions effected after the prior disclosure cross the threshold specified in clause (a) of sub-regulation (2)

Disclosures by other connected persons.

(3) Any company whose securities are listed on a stock exchange may, at its discretion require any other connected person or class of connected persons to make disclosures of holdings and trading in securities of the company in such form and at such frequency as may be determined by the company in order to monitor compliance with these regulations.

***NOTE**: This is an enabling provision for listed companies to seek information from those to whom it has to provide unpublished price sensitive information. This provision confers discretion on any company to seek such information. For example, a listed company may ask that a management consultant who would advise it on corporate strategy and would need to review unpublished price sensitive information, should make disclosures of his trades to the company.*

CHAPTER – IV

CODES OF FAIR DISCLOSURE AND CONDUCT

Code of Fair Disclosure.

8. (1) The board of directors of every company, whose securities are listed on a stock exchange, shall formulate and publish on its official website, a code of practices and procedures for fair disclosure of unpublished price sensitive information that it would follow in order to adhere to each of the principles set out in Schedule A to these regulations, without diluting the provisions of these regulations in any manner.

***NOTE**: This provision intends to require every company whose securities are listed on stock exchanges to formulate a stated framework and policy for fair disclosure of events and occurrences that could impact price discovery in the market for its securities. Principles such as, equality of access to information, publication of policies such as those on dividend, inorganic growth pursuits, calls and meetings with analysts, publication of transcripts of such calls and meetings, and the like are set out in the schedule.*

(2) Every such code of practices and procedures for fair disclosure of unpublished price sensitive information and every amendment thereto shall be promptly intimated to the stock exchanges where the securities are listed.

***NOTE**: This provision is aimed at requiring transparent disclosure of the policy formulated in sub-regulation (1)*

Code of Conduct.

9. (1) The board of directors of every listed company and market intermediary shall formulate a code of conduct to regulate, monitor and report trading by its employees and other connected persons towards achieving compliance with these regulations, adopting the minimum standards set out in Schedule B to these regulations, without diluting the provisions of these regulations in any manner.

***NOTE**: It is intended that every company whose securities are listed on stock exchanges and every market intermediary registered with SEBI is mandatorily required to formulate a code of conduct governing trading by its employees. The standards set out in the schedule are required to be addressed by such code of conduct.*

(2) Every other person who is required to handle unpublished price sensitive information in the course of business operations shall formulate a code of conduct to regulate, monitor and report trading by employees and other connected persons towards achieving compliance with these regulations, adopting the minimum standards set out in Schedule B to these regulations, without diluting the provisions of these regulations in any manner.

***NOTE**: This provision is intended to mandate persons other than listed companies and market intermediaries that are required to handle unpublished price sensitive information to formulate a code of conduct governing trading in securities by their employees. These entities include professional firms such as auditors, accountancy firms, law firms, analysts, consultants etc., assisting or advising listed companies, market intermediaries and other capital market participants. Even entities that normally operate outside the capital market may handle unpublished price sensitive information. This provision would mandate all of them to formulate a code of conduct.*

(3) Every listed company, market intermediary and other persons formulating a code of conduct shall identify and designate a compliance officer to administer the code of conduct and other requirements under these regulations.

***NOTE**: This provision is intended to designate a senior officer as the compliance officer with the responsibility to administer the code of conduct and monitor compliance with these regulations.*

CHAPTER – V

MISCELLANEOUS

Sanction for violations.

10. Any contravention of these regulations shall be dealt with by the Board in accordance with the Act.

Power to remove difficulties.

11. In order to remove any difficulties in the interpretation or application of the provisions of these regulations, the Board shall have the power to issue directions through guidance notes or circulars:

Provided that where any direction is issued by the Board in a specific case relating to interpretation or application of any provision of these regulations, it shall be done only after affording a reasonable opportunity of being heard to the concerned persons and after recording reasons for the direction.

Repeal and Savings.

12. (1) The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 1992 are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal,—

(a) the previous operation of the repealed regulations or anything duly done or suffered thereunder, any right, privilege, obligation or liability acquired, accrued or incurred under the repealed regulations, any penalty, forfeiture or punishment incurred in respect of any offence committed against the repealed regulations, or any investigation, legal proceeding or remedy in respect of any such right, privilege, obligation, liability, penalty, forfeiture or punishment as aforesaid, shall remain unaffected as if the repealed regulations had never been repealed; and

(b) anything done or any action taken or purported to have been done or taken including any adjudication, enquiry or investigation commenced or show-cause notice issued under the repealed regulations prior to such repeal, shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of these regulations;

(3) After the repeal of Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 1992, any reference thereto in any other regulations made, guidelines or circulars issued thereunder by the Board shall be deemed to be a reference to the corresponding provisions of these regulations.

SCHEDULE A

[See sub-regulation (1) of regulation 8]

Principles of Fair Disclosure for purposes of Code of Practices and Procedures for Fair Disclosure of Unpublished Price Sensitive Information

1. Prompt public disclosure of unpublished price sensitive information that would impact price discovery no sooner than credible and concrete information comes into being in order to make such information generally available.

2. Uniform and universal dissemination of unpublished price sensitive unpublished price sensitive information to avoid selective disclosure.

3. Designation of a senior officer as a chief investor relations officer to deal with dissemination of information and disclosure of unpublished price sensitive information.

4. Prompt dissemination of unpublished price sensitive information that gets disclosed selectively, inadvertently or otherwise to make such information generally available.

5. Appropriate and fair response to queries on news reports and requests for verification of market rumours by regulatory authorities.

6. Ensuring that information shared with analysts and research personnel is not unpublished price sensitive information.

7. Developing best practices to make transcripts or records of proceedings of meetings with analysts and other investor relations conferences on the official website to ensure official confirmation and documentation of disclosures made.

8. Handling of all unpublished price sensitive information on a need-to-know basis.

SCHEDULE B

[See sub-regulation (1) and sub-regulation (2) of regulation 9]

Minimum Standards for Code of Conduct to Regulate, Monitor and Report Trading by Insiders

1. The compliance officer shall report to the board of directors and in particular, shall provide reports to the Chairman of the Audit Committee, if any, or to the Chairman of the board of directors at such frequency as may be stipulated by the board of directors.

2. All information shall be handled within the organisation on a need-to-know basis and no unpublished price sensitive information shall be communicated to any person except in furtherance of the insider's legitimate purposes, performance of duties or discharge of his legal obligations. The code of conduct shall contain norms for appropriate Chinese Walls procedures, and processes for permitting any designated person to "cross the wall".

3. Employees and connected persons designated on the basis of their functional role ("**designated persons**") in the organisation shall be governed by an internal code of conduct governing dealing in securities. The board of directors shall in consultation with the compliance officer specify the designated persons to be covered by such code on the basis of their role and function in the organisation. Due regard shall be had to the access that such role and function would provide to unpublished price sensitive information in addition to seniority and professional designation.

4. Designated persons may execute trades subject to compliance with these regulations. Towards this end, a notional trading window shall be used as an instrument of monitoring trading by the designated persons. The trading window shall be closed when the compliance officer determines that a designated person or class of designated persons can reasonably be expected to have possession of unpublished price sensitive information. Such closure shall be imposed in relation to such securities to which such unpublished price sensitive information relates. Designated persons and their immediate relatives shall not trade in securities when the trading window is closed.

5. The timing for re-opening of the trading window shall be determined by the compliance officer taking into account various factors including the unpublished price sensitive information in question becoming generally available and being capable of assimilation by the market, which in any event shall not be earlier than forty-eight hours after the information becomes generally available. The trading window shall also be applicable to any person having contractual or fiduciary relation with the company, such as auditors, accountancy firms, law firms, analysts, consultants etc., assisting or advising the company.

6. When the trading window is open, trading by designated persons shall be subject to pre-clearance by the compliance officer, if the value of the proposed trades is above such thresholds as the board of directors may stipulate. No designated person shall apply for pre-clearance of any proposed trade if such designated person is in possession of unpublished price sensitive information even if the trading window is not closed.

7. The compliance officer shall confidentially maintain a list of such securities as a "restricted list" which shall be used as the basis for approving or rejecting applications for pre-clearance of trades.

8. Prior to approving any trades, the compliance officer shall be entitled to seek declarations to the effect that the applicant for pre-clearance is not in possession of any unpublished price sensitive information. He shall also have regard to whether any such declaration is reasonably capable of being rendered inaccurate.

9. The code of conduct shall specify any reasonable timeframe, which in any event shall not be more than seven trading days, within which trades that have been pre-cleared have to be executed by the designated person, failing which fresh pre-clearance would be needed for the trades to be executed.

10. The code of conduct shall specify the period, which in any event shall not be less than six months, within which a designated person who is permitted to trade shall not execute a contra trade. The compliance officer may be empowered to grant relaxation from strict application of such restriction for reasons to be recorded in writing provided that such relaxation does not violate these regulations. Should a contra trade be executed, inadvertently or otherwise, in violation of such a restriction, the profits from such trade shall be liable to be disgorged for remittance to the Board for credit to the Investor Protection and Education Fund administered by the Board under the Act.

11. The code of conduct shall stipulate such formats as the board of directors deems necessary for making applications for pre-clearance, reporting of trades executed, reporting of decisions not to trade after securing pre-clearance, recording of reasons for such decisions and for reporting level of holdings in securities at such intervals as may be determined as being necessary to monitor compliance with these regulations.

12. Without prejudice to the power of the Board under the Act, the code of conduct shall stipulate the sanctions and disciplinary actions, including wage freeze, suspension etc., that may be imposed, by the persons required to formulate a code of conduct under sub-regulation (1) and sub-regulation (2) of regulation 9, for the contravention of the code of conduct.

13. The code of conduct shall specify that in case it is observed by the persons required to formulate a code of conduct under sub-regulation (1) and sub-regulation (2) of regulation 9, that there has been a violation of these regulations, they shall inform the Board promptly.

U. K. SINHA, Chairman

[ADVT- III/4/Exty./69ZB]

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.